विज्ञप्ति संख्या– 1020 / रा0नि0आ0–स्टोर / 4720 / 2026 दि0–06.11.2026

ई–निविदा के नियम, निर्देश एवं शर्ते

भाग–''क''–राज्य निर्वाचन आयोग, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून में 'Nature of work' (कार्य की प्रकृति) के आधार पर गार्डो (सुरक्षा कर्मियों) रखे जाने हेतु ई0 निविदा का विवरणः–

राज्य निर्वाचन आयोग, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून में 'Nature of work' (कार्य की प्रकृति) के आधार पर गार्डो (सुरक्षा कर्मियों) रखे जाने हेतु ई–निविदा के माध्यम से ऑनलाईन (Online) तकनीकी बिड (Technical Bid) एवं वित्तीय बिड (Financial Bid) निम्न कार्यक्रमानुसार आमंत्रित की जाती हैः–

क्र. सं.	विवरण / कार्यक्रम	निर्धारित तिथि
1.	वेबसाइट http://.www.uktenders.gov.in पर निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	06 नवम्बर, 2026
2.	तकनीकी एवं वित्तीय बिडों को ऑनलाईन अपलोड करने की तिथि	06 नवम्बर, 2026 से 19नवम्बर, 2026 सांय 05.00 बजे तक
3.	निम्नलिखित को तीन पृथक–पृथक लिफाफों में सील करके तथा तीनों को एक लिफाफे में सील कर आयोग मुख्यालय में उपलब्ध कराने की अन्तिम तिथि • निविदा आवेदन पत्र शुल्क • अर्नेस्ट मनी (EMD) • तकनीकी बिड एवं उससे संबंधित समस्त अभिलेख।	19 नवम्बर, 2026 सांय 05.00 बजे तक
4.	तकनीकी बिड खोलने की तिथि	20 नवम्बर, 2026 प्रातः11.00 बजे
5.	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	तकनीकी बिड के परीक्षणोपरान्त
6.	निविदा आवेदन पत्र शुल्क	रू0 1000.00

क्रमशः–2

भाग–ख (ई0–निविदा की शर्तें)

राज्य निर्वाचन आयोग, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून में '**Nature of work**' (कार्य की प्रकृति) के आधार पर गार्डो (सुरक्षा कर्मियों) रखे जाने हेतु ई0– निविदा का विवरणः–

सुरक्षा का दायराः सुरक्षा गार्डो को पूरे कार्यालय परिसर जिसमें कार्यालय के मुख्य गेट से लेकर आयोग कार्यालय परिसर की बॉउन्ड्री वाल के अन्दर की समस्त सुरक्षा व्यवस्था शामिल है।

1- प्रवेश और निकास नियंत्रणः (Access Control)

- **आगंतुक प्रबंधनः** आयोग में तैनात किये जाने वाले सुरक्षा गार्डो को आयोग परिसर में आने वाले हर व्यक्ति का विवरण रजिस्टर में दर्ज करना और उनके पहचान–पत्र की जॉच करना। केवल वैध पहचान पत्र धारक या आयोग के अधिकृत अधिकारी से गेट–पास प्राप्त करने के उपरान्त ही बाहारी व्यक्तियों को आयोग कार्यालय में प्रवेश देना होगा। सुरक्षा कर्मियों द्वारा आयोग के अधिकृत अधिकारियों से पुष्टि के उपरान्त विजिटर पास जारी करना और सरकारी संपत्तियों (जैसे फाईल, लैपटॉप एवं अन्य उपकरणों) को बाहर ले जाते समय गेट पास की जॉच करना होगा।
- **वी0वी0आई0पी0 सुरक्षा और प्रोटोकॉलः** आयोग में तैनात किये जाने वाले सुरक्षा गार्डो को वरिष्ठ अधिकारियों के आने–जाने के समय रास्ता साफ रखना और सेल्यूट/प्रोटोकॉल का अनुपालन करना होगा।
- **वाहन जॉचः** तैनात किये जाने वाले सुरक्षा गार्डो द्वारा आयोग के प्रवेश और निकास द्वार पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करना और उन्हें निर्धारित पार्किंग क्षेत्रों में लगवाना होगा।
- **सामग्री की जॉचः** तैनात किये जाने वाले सुरक्षा गार्डो द्वारा आयोग परिसर में आने वाले किसी भी सामान के लिए वैध गेट पास या डिलीवरी चालान की भौतिक रूप से पुष्टि की जायेगी।

2- निगरानी ओर गश्तः : (Surveillance & Patrolling)

- **नियमित गश्तः** आयोग कार्यालय के मुख्य गेट से लेकर आयोग के समस्त बॉउन्ड्री वॉल के अन्दर (पूरे परिसर के हर कोनों) तक निरंतर निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि आयोग कार्यालय का कोई भी कोना अनअटेंडेड (Unattendeed) न रहे।
- **आयोग के संपत्ति की सुरक्षाः** आयोग की सरकारी सम्पत्ति को चोरी, क्षति, दुरूपयोग या अनधिकृत प्रवेश, तोड़–फोड़ से बचाना। आयोग कार्यालय की समस्त सम्पत्तियों की देख–रेख करना।

3- आपातकालीन प्रतिक्रियाः(Emergency Response)

- **अग्नि सुरक्षाः आग या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में अग्निशम विभाग को सूचित करना, अग्निशमन उपकरणों का संचालन करना और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करना।**

क्रमशः–3

- **कानून व्यवस्थाः** आयोग परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि, चोरी, विवाद, विरोध प्रदर्शन या किसी नागरिक अशान्ति की सूचना तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय पुलिस को देना।
- 4- <u>व्यवहार और अनुशासन(Conduct & Discipline)</u>
- **वर्दी और उपकरणः आयोग परिसर में ड्यूटी के दौरान सुरक्षा गार्डो को पूरी वर्दी में रहना होगा और लाठी, सीटी और टार्च जैसे आवश्यक उपकरण अपने साथ रखना होगा।**
- **शिफ्ट ड्यूटीः** 24 घंटे आयोग कार्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एजेंसी आवश्यकतानुसार 01 सुरक्षा गार्ड शिफ्ट अनुसार तैनात करेगी। प्रत्येक शिफ्ट में 01 सुरक्षा कर्मी को तैनात किया जाना होगा। साप्ताहिक अवकाश अथवा किसी गार्ड के अचानक बीमार होने या छुट्टी जाने पर ऐजेंसी को तुरन्त **रिलीवर (Reliever) भेजना होगा। रिलीवर (Reliever) की सेलरी (पी0एफ0/ई0एस0आई0) समस्त वैधानिक लाभ भी एजेंसी द्वारा ही दिये जायेंगे।**
- 5- <u>रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड (Reporting)</u>
- **दैनिक लॉगः** हर शिफ्ट के अंत में घटनाओं की रिपोर्ट लिखना और अगले गार्ड को चार्ज सौपने से पहले ''हैंडिग/टेकिंग ओवर' रजिस्टर में हस्ताक्षर करना।

<u>तकनीकी बिड संबंधी आवश्यकतायें–</u>

6. एजेन्सी को निविदा के साथ रू0 रू0 20,000.00 (रू0 बीस हजार) की ई0एम0डी0 प्रस्तुत करनी होगी जो डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में होगी।

प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों की पंजीकृत एजेन्सियों को छूट के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही नियमानुसार ई0एम0डी0 तथा टेण्डर शुल्क आदि में छूट प्रदान की जायेगी।

7. एजेंसी के पास निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी वैध PSARA लाईसेंस होना चाहिये।

8. सुरक्षा एजेंसी को **न्यूतम मजदूरी/ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0** का अनुपालन करना होगा।

9. विगत 03 वित्तीय वर्षो में सुरक्षा एजेंसी का न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर किसी भी 01 वर्ष में कम से कम **रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख)** तक होना चाहिये। **(सी0ए0 द्वारा प्रमाणित साक्ष्य निविदा के साथ ऑन लाईन संलग्न करें)**

कमशः–4

10. सुरक्षा एजेंसी को केन्द्र/राज्य सरकार/सरकारी उपक्रमों/निजी कार्यालय परिसर में सुरक्षा गार्ड प्रदान करने का **न्यूनतम 03 वर्षो का पिछला अनुभव होना चाहिये। (साक्ष्य निविदा के साथ ऑन लाईन संलग्न करें)**

11. सुरक्षा एजेंसी का जी0एस0टी0नम्बर, पैन नम्बर, ई0पी0एफ0 तथा ई0एस0आई0 पंजीकरण होना चाहिये। **(साक्ष्य निविदा के साथ ऑन लाईन संलग्न करें)**

12. **सफल निविदादाता को वार्षिक लागत की 10% धनराशि कार्यपूर्ति प्रतिभूति (धरोहर) के रूप में राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करानी होगी।**

13. सुरक्षा एजेंसी द्वारा आयोग में तैनात किये गये सुरक्षा गार्डो की वर्दी, टार्च, सीटी, लाठी आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी और ड्यूटी में तैनात होने वाले सुरक्षा गार्ड को वर्दी में तैनात रहना आवश्यक होगा। सुरक्षा एजेन्सी द्वारा ही सुरक्षा गार्डो के परिचालन, निगरानी की व्यवस्था की जायेगी।

14. **सुरक्षा गार्डो में पूर्व सैनिकों को वरीयता दी जायेगी। केवल unarmedसुरक्षा कर्मी तैनात किये जाने हैं, जिनकी शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल उत्तीर्ण हो उम्र सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष तक हो।**

15. सुरक्षा एजेंसी द्वारा आयोग में तैनात किये जाने वाले सुरक्षा गार्डो की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिये। सभी गार्डस और रिलीवर का पुलिस रिकार्ड साफ होना चाहिये। **आयोग में तैनाती से पूर्व सुरक्षा गार्डो एवं रिलीवर का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा।**

16. सुरक्षा एजेंसी द्वारा आयोग में तैनात किये जाने वाले सुरक्षा गार्डो का शारारिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना अनिवार्य है। आयोग में तैनात किये जाने वाले सुरक्षा गार्डो को आयोग कार्यालय में तैनात समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की आज्ञा का अनुपालन करना होगा। तैनात किये जाने वाले गार्डो के पास मोबाईल सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये।

17. सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षा गार्डो के वेतन इत्यादि के भुगतान की व्यवस्था खुद करनी होगी। **सुरक्षा एजेन्सी द्वारा सुरक्षा गार्डो को नियत वेतन भत्ते आदि का भुगतान प्रत्येक माह की 7 वीं तारीख तक करना आवश्यक होगा। आयोग द्वारा बजट उपलब्धता के आधार पर सुरक्षा एजेंसी को बिल के आधार पर भुगतान किया जायेगा।**

18. सुरक्षा एजेंसी यह भी सुनिश्चित करेंगी कि सुरक्षा गार्डो को सभी अनुमन्य सुविधायें जैसे भविष्य निधि, ई0एस0आई0 श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अनुमन्य स्वास्थ्य सुविधा नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेंगी।

19. **अनुबन्ध 01 वर्ष हेतु किया जायेगा, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है।**

क्रमशः—5

20. निविदादाता एजेन्सी को कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य में स्थायी कार्यालय खोलना होगा।

24 घंटे अर्थात 03 शिफ्ट में आयोग कार्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित् करने के लिए एजेंसी आवश्यकतानुसार 01 सुरक्षा गार्ड शिफ्ट अनुसार तैनात करेगी। प्रत्येक शिफ्ट में 01 सुरक्षा कर्मी को तैनात किया जाना होगा। साप्ताहिक अवकाश अथवा किसी गार्ड के अचानक बीमार होने या छुट्टी जाने पर एजेंसी को तुरन्त (**Reliever**) भेजना होगा। रिलीवर (**Reliever**) की सेलरी (पी0एफ0/ई0एस0आई0) समस्त वैधानिक लाभ एजेंसी द्वारा ही दिये जायेंगे।

21. ई–निविदा में प्रतिभाग करने के लिए निविदादाताओं के पास Digital Signature Certificate (DSC)होना अनिवार्य है। निविदा सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिये दूरभाष सं0–**18001804280** पर सम्पर्क कर सकते हैं।

22. **ई–निविदा के माध्यम से तकनीकी एवं वित्तीय बिडों को Online Uploadकरने के लिए निविदा के विस्तृत नियम, निर्देश, शर्तें एवं निविदा आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट http://.www. uktenders.gov.in से Downloadकर सकते हैं।**

23. सशर्त, अपूर्ण, अहस्ताक्षरित, निर्दिष्ट शर्तों के विपरीत एवं निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

24. निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र भाग–1 (Technical Bid) को पूर्ण कर अपेक्षित अभिलेख संलग्न करें तथा निविदा दरें प्रपत्र भाग–2 (Financial Bid) में प्रस्तुत करें।

25. निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड ''प्रपत्र भाग–1'' में एवं वित्तीय बिड ''प्रपत्र भाग–2'' में प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड एवं उसके साथ संलग्न किये गये समस्त अभिलेखों पर निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मुहर लगाना आवश्यक है।

26. निविदादाता की कोई शर्त स्वीकार नहीं होगी। नियम व शर्तों के अनुरूप निविदा प्रस्तुत न किये जाने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

27 निविदा हेतु गठित समिति को बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार होगा।

28. सफल निविदादाता, जिसकी दरें स्वीकृत की जायेगी, को दिनांक 01.12.2026 से आयोग कार्यालय की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्डो की तैनाती करना होगा।

क्रमशः–6

29. न्यूनतम दर में एक से अधिक फर्में आने पर कार्य का आवंटन करने के लिए निविदा समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो निविदादाताओं को मान्य होगा।

30. निविदा प्रपत्र शुल्क हेतु **रू0 1000.00 (रू0 एक हजार मात्र)** का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किया गया बैंक ड्राफ्ट जो **"सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड"** के पक्ष में जारी किया गया हो तथा देहरादून में देय हो, को जमा करना अनिवार्य है।

31. निविदा आवेदन पत्र के साथ **"सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड"** के पक्ष में **रु0 20000.00(रू0 बीस हजार मात्र)** का राष्ट्रीयकृत बैंक का एन.एस.सी./एफ.डी.आर. जो देहरादून में देय हो तथा एक वर्ष तक वैध हो, धरोहर राशि (EMD)के रुप में निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि निविदा की स्वीकृति के तत्काल बाद उन्हे वापस कर दी जायेगी। सफल निविदादाता की धरोहर राशि निर्वाचन आयोग के पास जमा रहेगी, जिसे उसकी जमानति धनराशि में समायोजित किया जा सकता है।

32. **सुरक्षा धनराशि**– सफल निविदादाता को कुल लागत मूल्य का 10 प्रतिशत जिसमें तकनीकी बिड के साथ दी गयी अर्नेस्टमनी समाहित हो, की एफ.डी.आर./एन.एस.सी., जो **"सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड"** के पक्ष में देहरादून में देय हो तथा एक वर्ष तक वैध हो, जमा करना अनिवार्य होगा, जो कार्य पूर्ण होने के उपरान्त फर्म को वापस कर दी जायेगी।

33. **समिति द्वारा जिन निविदादाताओं की ''तकनीकी बिड'' अर्ह घोषित की जायेगी, उन्ही निविदादाताओं की ''वित्तीय बिड'' खोली जायेगी।**

34. निविदा पत्र में समस्त सूचनाएं यथास्थान स्पष्ट पठनीय लेख में उल्लिखित हों एवं निविदा पत्र में दिये गये क्रमांक के क्रम में अपलोड की गयी होनी चाहिए।

35. **आवश्यकता पड़ने पर निविदा समिति को फर्मों से नेगोसिएशन करने का अधिकार होगा।**

36. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

क्रमशः–7

खण्ड–''ग'' (तकनीकी बिड)

37. तकनीकी बिड (प्रपत्र भाग–1) के साथ निम्नवत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र **Upload** करने होंगे–

(क) फर्म का बिक्रीकर विभाग से पंजीकरण की छायाप्रति।
(ख) विगत 03 वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न की छायाप्रति।
(ग) स्थायी आयकर खाता **(PAN)**संख्या की छायाप्रति।
(घ) विगत 03 वित्तीय वर्षों का वैध व्यापार कर/बिक्री कर के भुगतान के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति।
(च) विगत 03 वित्तीय वर्षों में सुरक्षा एजेन्सी का न्यूनतम टर्न ओवर किसी भी 01 वर्ष में कम से कम रू0 20.00 लाख (बीस लाख) होने के संबंध में सी.ए. द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
(छ) अनुभव प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।

38. एजेंसी के पास निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी वैध PSARA लाईसेंस होने संबंधी**(प्रमाण अपलोड करें)**

39. सुरक्षा एजेन्सी को निविदा के साथ रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर यह घोषणा पत्र देना होगा कि उसे किसी भी सरकारी विभाग/संस्था द्वारा कभी भी ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है और न ही उसकी सुरक्षा धनराशि को जब्त किया गया हो। जिसका विवरण नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र पर उपलब्ध कराना होगा।

40. **आवेदन पत्र शुल्क एवं अर्नेस्ट मनी(EMD)तथातकनीकी बिड एवं उससे संबंधित समस्त अभिलेखो** को पृथक–पृथक तीन लिफाफों में सील कर (प्रत्येक लिफाफे के दाहिनी ओर आवेदन शुल्क, अर्नेस्ट मनी एवं तकनीकी बिड, जो लिफाफे के अन्दर हो, अंकित करना अनिवार्य है) तथा तीनों लिफाफों को एक लिफाफे में सील कर राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड में दिनांक 13 नवम्बर, 2026 को सांय 5.00 बजे तक उपलब्ध कराना आवश्यक है, जिसे पंजीकृत डाक से भी उपलब्ध कराया जा सकता है। **उपरोक्त लिफाफे के दाहिनी ओर मोटे अक्षरों में सुरक्षा गार्डो की आपूर्ति हेतु निविदा एवं विज्ञप्ति संख्या अनिवार्य रूप से अंकित हो।** निर्धारित तिथि के पश्चात लिफाफे प्राप्त होने पर ई–निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

खण्ड–''घ'' (वित्तीय बिड)

41 वित्तीय बिड अर्थात **Financial Document**में सभी प्रकार के करों को जोड़ते हुए कुल वार्षिकदर देनी होगीं।

42. वित्तीय बिड **प्रपत्र भाग–2** पर देनी होगी।

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,

उत्तराखण्ड। क्रमशः–8

निविदा प्रपत्र तकनीकी बिड (**Technical Bid**)प्रपत्र– भाग–1

वांछित अभिलेख ऑन लाईन स्कैन करने के उपरान्त मूल प्रतियॉसील्ड लिफाफे में आयोग को उपलब्ध करायें।

राज्य निर्वाचन आयोग, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून में '**Nature of work**' (कार्य की प्रकृति) के आधार पर गार्डो (सुरक्षा कर्मियों) रखे जाने हेतु ई0– निविदा **की आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र तकनीकी बिड (Technical Bid)**

1. निविदादाता का नाम.....

2. पता

3. फोन नं0 कार्यालय..... मोबाईल न0.....ई–मेल आई.डी.....

4. विक्री विभाग से पंजीकरण की छायाप्रतियॉ.....(संलग्न करें)

5. 03 वर्षो के आयकर भुगतान का प्रमाण पत्र/आयकर रिटर्न.....(संलग्न करें)

6. स्थायी आयकर खाता संख्या **(PAN)**

7. **TIN No./ G.S.T.No.**(संलग्न करें)

8. विगत 03 वित्तीय वर्षों का वैध व्यापार कर/बिक्री कर के भुगतान का विवरण
.....(संलग्न करें)

9. विगत 03 वित्तीय वर्षो के टर्नओवर का विवरण
.....(सी0ए0 द्वारा प्रद्वत प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10 एजेंसी के पास निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी वैध PSARA लाईसेंस होने संबंधी विवरण.....(संलग्न करें)

11. कार्यानुभव.....(संलग्न करें)

12. निम्न बिन्दुओं के लिए नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करें–

- किसी भी सरकारी विभाग/संस्था द्वारा कभी भी ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है और न ही उसकी सुरक्षा धनराशि को जब्त किया गया है।

क्रमशः–09

13. निविदा आवेदन पत्र के मूल्य का विवरण–

(मूल रूप में आयोग कार्यालय को सील्ड लिफाफे में उपलब्ध करायें)(1) डी0डी0 संख्या व दिनांक

(2) धनराशि.....

(3) बैंक का नाम व शाखा.....

14. धरोहर धनराशि **(EMD)**का विवरण.....

(मूल रूप में आयोग कार्यालय को सील्ड लिफाफे में उपलब्ध करायें)

(1) राष्ट्रीय बैंक का नाम व शाखा

(2) एन.एस.सी./एफ.डी.आर., संख्या व दिनॉक.....

(3) धनराशि.....

15. अन्य कोई विवरण.....

16. संलग्नकों की संख्या–

मैं.....मैसर्स.....का मालिक.....प्रतिशत साझेदार/प्रबन्धक हूॅ। निविदा से संबंधित समस्त शर्तों का मेरे द्वारा अध्ययन कर लिया गया है, जो मुझे मान्य है। इस निविदा की समस्त कार्यवाही करने एवं समस्त देयक के प्रति मेरा पूर्ण उत्तरदायित्व है। उपरोक्त समस्त सूचना पूर्णतया सत्य है। इससे संबंधित कोई सूचनाएं मेरे द्वारा छिपायी नहीं गयी है। यदि कोई सूचना असत्य अथवा अपूर्ण पायी जाती है तो उसके लिए मैं उत्तरदायी रहूंगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

दिनांक..... नाम.....

फर्म का नाम.....

फर्म की मुहर

क्रमशः–10

प्रपत्र– भाग–2 (वित्तीय विड)

राज्य निर्वाचन आयोग, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून में '**Nature of work**' (कार्य की प्रकृति) के आधार पर गार्डो (सुरक्षा कर्मियों) रखे जाने हेतु निविदा प्रपत्र

वित्तीय बिड (**Financial Bid**)

क्र0सं0	नाम सामग्री	प्रति वर्ष की कुल दररू0 में (समस्त करों सहित)
1	2	3
1.	राज्य निर्वाचन आयोग, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून में '**Nature of work**' (कार्य की प्रकृति) के आधार पर गार्डो (सुरक्षा कर्मियों) रखे जाने हेतु	

निविदादाता के हस्ताक्षर

दिनांक..... नाम.....

फर्म का नाम.....